



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श10)
(सं0 पटना 441) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०-18/2020-1021/वि०स०।—“बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-10/2020]

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम-21, 2008) की धारा-4(1) एवं धारा 4 (3) (ख) में संशोधन के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम-21, 2008 के धारा-4 में संशोधन :-** (1) बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम-21, 2008) की धारा-4 (1) एवं धारा-4 (3) (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"4. **न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें :-**

"4. (1) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो पहले समाप्त होगी, वह कार्यकाल मान्य होगा।

4. (3) (ख) यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझती है तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कार्य अक्षमता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्व्यवहार, विधि के विरुद्ध आदेश पारित करने, पदधारित करते हुये अन्य लाभकारी नियोजन में रहने के कारण उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये हटाया जा सकेगा।"

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य में कार्य विभागों के अन्तर्गत उभरे नये विवादों के समाधान हेतु माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का गठन बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम 2008 द्वारा किया गया जो वर्तमान में लागू है।

उल्लेखनीय है कि **बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम 2008** की धारा-4 (1) एवं धारा-4(3)(ख) में निम्न प्रावधान है :-

4. **न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें-**

4. (1) अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी, परन्तु, उक्त अवधि के अवसान उपरांत राज्य सरकार द्वारा उनकी कार्यवाधि अगले तीन वर्ष के लिए अथवा उसकी आयु सत्तर वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जा सकेगी।

4. (3)(ख) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राज्य सरकार के प्रसादानुसार अपने पद पर बने रहेंगे परन्तु, समय पूर्व सेवा से हटाये जाने की स्थिति में वे क्षतिपूर्ति के रूप में तीन माह के वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (c) No.-18212/2017 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या-3344/2018 राज्य सरकार बनाम मे0 ब्रहमपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 एवं SLP (c) No. 21434/2017 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या-3345/2018 राज्य सरकार बनाम मे0 सुप्रीम ब्रहमपुत्रा (J.V.) के मामले में दिनांक-22.03.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्याय-निर्णय में बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम 2008 की धारा 4(1) एवं धारा 4(3) (ख) में न्यायाधिकरण के "अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के कार्यकाल में सरकार के प्रसादानुसार" का उल्लेख होने के कारण उसे असंवैधानिक करार दिया गया है, जिसके फलस्वरूप न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल एवं सरकार के प्रसादानुसार में संशोधन करना आवश्यक एवं समीचीन है।

तदालोक में **बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम 2008** की धारा **4(1) एवं धारा 4(3) (ख)** को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है:-

4. **न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें-**

4 (1) अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए अथवा 70 (सत्तर) वर्ष की आयु तक, जो पहले समाप्त होगी, वह कार्यकाल मान्य होगा।

4 (3)(ख) यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझती है तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कार्य अक्षमता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्व्यवहार, विधि के विरुद्ध आदेश पारित करने, पदधारित करते हुये अन्य लाभकारी नियोजन में रहने के कारण उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये हटाया जा सकेगा।

इससे Arbitration Tribunal के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल एवं उन्हें पद से हटाये जाने के संदर्भ में पारदर्शी व्यवस्था हो सकेगी।
उपर्युक्त के कारण ही बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम 2008 की धारा 4(1) एवं धारा 4(3) (ख) में संशोधन कराना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है।

(नन्द किशोर यादव)
भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक-03.08.2020

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 441-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>